International Indexed & Refferred Research Journal, ISSN-2250-2599; Vol. I* ISSUE -1 Oct., 2012

शोध पत्र

महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा

* कीर्ति गुलाटी

"स्त्री के हृदय को पनपाने और उसे चारों ओर फैलने और विकसित होने का अवसर दो, वह न भूल जाये कि उसका अपना भी एक व्यक्तित्व है" – प्रसिद्ध हिन्दी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान।

प्रस्तावना

19वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुआ सुधारवादी आन्दोलन महिलाओं की सहभागिता से दिन दौगुनी एवं रात चौगुनी उत्तरोत्तर समृद्ध होता गया। महिला सशक्तिकरण के विविध आयामों में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक, ज्ञान, विज्ञान, कला, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, खेल, विज्ञापन, सिनेमा, मार्केटिंग एवं स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ, नारी के स्वविवेक, पारिवारिक एवं सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में सक्रिय हस्तक्षेप करना एवं पुरूषों के विरूद्ध अनुचित कार्यो के प्रति विरूद्ध खड़े होने की क्षमता से लगाया जा सकता है। नारी मनोवृत्ति का परिचय इन शब्दों में मिलता है –''मैं तुम्हारी या किसी और की दी हुई उधार की जिन्दगी नहीं जीना चाहती, अपनी जिन्दगी जीना चाहती हूँ। पूरी तरह अपनी''।

मशहूर लेखक शैक्सपीयर से उनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर उनके मित्र ने जब पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है? तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, ''मेरी सफलता का राज यह है कि मेरी पत्नी अपने रास्ते चलती है और मैं उसके रास्ते''। ऐसे ही एक अन्य पाश्चात्य साहित्यकार हैनरी फिल्डिंग कहते है ''उनके साहित्य में दिमाग तो था पर उसे धड़कन तब मिली जब उनकी पत्नी ने दिल की बारीक संवेदनाओं का तानाबाना बुन कर साहित्य को नवजीवन दिया''। महादेवी वर्मा हिन्दी साहित्य जगत की प्रसिद्ध कवयित्री भी लिखती हैं, ''दांपत्य जीवन पत्नी के द्वारा पति का सतत सृजन हैं, वह नियति नहीं निर्माण है''। स्त्री पत्नी के रूप में रिश्तों की सांझीदार बनती है।

परिवार को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आशियानें को सजाने एवं संवारने का काम भी करती है। कभी दोस्त, कभी हमसफर, कभी हमराज, इस तरह के अनेक रिश्तों को आपस में मिला दे तो जो नाम हमारे जहन में आता है उभरकर, वह है नारी। तो फिर नारी सशक्तिकरण में कैसी सोच क्योंकर देरी। एक स्त्री परिवार में जितनी सहजता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करती है, वह शायद एक पुरूष के बस की बात नहीं। आज के युग में नारियां पुरूषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि विकास की दौड़ में पुरूषों के भागीदारी रखने वाली नारियां पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह ठीक तरह से नहीं कर पाती, बल्कि आज की नारियां तो पढ़ लिखकर समाज व परिवार दोनों के विकास में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व० राजीव गांधी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये। जिनमें विशेषता महिलाओं की राजनीति में 33% आरक्षण की वकालत की। उन्होंने नौकरियों में महिलाओं के लिए विशेष कारगर कदम उठाये। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। उनका विचार था कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं। इसलिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होना चाहिए। प्रसिद्ध लेखिका कमलेश शर्मा आह्वान करती हैं उन माता–पिता से जो अपनी संतान से भेदभाव करते हैं। वे कहती है कि पुत्री दो घरों का श्रृगांर होती हैं। उनकी कही हुई ये पंक्तियॉ कितनी सटीक हैं –

एक तरफ तो स्त्री पुरूष की बराबरी की बात हो रही है तो दूसरी और बालिकाएं गायब हो रही हैं। इससे आने वाले समय में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि शादी के लिए लड़को को लड़कियां न मिलेगीं। 2011 जनगणना के अनुसार एक हजार लड़को पर 914 लड़कियों की संख्या है। दस वर्ष पूर्ण 2001 की जनगणना के ऑकड़ों के अनुसार यह संख्या 927 थी। देश में शून्य से छह साल के बच्चों का लिंग अनुपात बड़ी बुरी तरह से उस दौरान गड़बड़ा गया था।

उस दौरान सड़क से संसद तक खूब हो–हल्ला मचा। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पी०एन०डी०टी०) एक्ट को सख्ती से लागू करने और इसे और सख्त बनाने की कवायद शुरू की। मगर 2011 की जनगणना ने साबित कर दिया कि सारे उपाय और कानून बेअसर साबित हो गये। कन्या भ्रूण हत्या नहीं रूकी। इसलिए अब शिशु लिंगानुपात और भी खराब हो गया। लड़कियों की संख्या में यह गिरावट आजादी के बाद से सर्वाधिक है। कन्या भ्रूण हत्या पर मा० हरिसिंह आर्य की ये पंक्तियां एक दम सटीक लगती हैं –

विकट समस्या आ गई, इस पर देना ध्यान जरूर है।

मुझे बचा लो कह रही कन्या, मेरा क्या कसूर है।
नहीं मानोगे तो खबर लेगा वो थारी, दण्ड देगा वो न्यायकारी।।

देश के सभी 27 बड़े राज्यों में कन्या भ्रूण हत्या में गिरावट का रूझान पाया गया है। जो राज्य मसलन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि पहले से ही खराब लिंगानुपात वाले थे, वहॉ स्थिति में मामूली सुधार आया है, लेकिन यह संतोष जनक नहीं है। जनसंख्याविदों के आकलन के अनुसार एक हजार लड़कों पर कम से कम 940–950 लड़कियां होनी चाहिए। मगर ऐसी स्थिति वाले राज्य चंद ही हैं।

निम्नलिखित दस प्रदेशों में 1000 लड़कों के मुकाबले 900 से भी कम लड़कियां हैं –

हरियाणा	–	830
पंजाब	–	846
जम्मु–कश्मीर	–	859
दिल्ली	–	866
चंडीगढ़	–	867
राजस्थान	–	883
महाराष्ट्र	–	883
गुजरात	–	886
उत्तराखंड	–	886
उत्तरप्रदेश	–	899

दो जिलों की लिंगानुपात की स्थिति अच्छी है –

मिजोरम	–	971
मेघालय	–	970

दो जिलों की लिंगानुपात की स्थिति बदतर है –

हरियाणा	–	830
पंजाब	–	846

सबसे अच्छे जिलों की लिंगानुपात निम्नलिखित है –

लाहौल स्पीति (हिमाचल)	–	1013
त्वांग (अरूणाचल प्रदेश)	–	1005

** अध्यापिका, माडल टाऊन, पानीपत*

बालिकाओं की शिक्षा

पं० जवाहर लाल नेहरू जी के अनुसार– ''एक बालक को शिक्षित करने का मतलब है एक व्यक्ति को शिक्षित करना है जबकि एक बालिका को शिक्षित करने का मतलब सम्पूर्ण परिवार को शिक्षित करना है। दरअसल एक बालिका की शिक्षा–दीक्षा तो एक दीपक जलाने के समान है। यह दीपक प्रकाश तो प्रदान करता ही है। साथ ही अपनी लौ से अनवरत नये–नये दीपक भी जलते रहते हैं जो इस प्रकाश को कई गुणा बढ़ाते चले जाते हैं''।

जनगणना 2011 के अनुसार देश साक्षर हो रहा है, महिलाओं के पढ़ने की रफ्तार लगभग दूनी हो गई है। पिछले एक दशक में देशवासियों में पढ़ने की ललक बढ़ी है। इसी का नतीजा है कि देश के 10 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों ने 85 फीसदी साक्षरता का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया। इन 10 सालों में साक्षरता दर में करीब 10 फीसदी की बढ़ौतरी दर्ज की गई है। साक्षरता के मामले में सबसे निचले पायदान पर बिहार रहा, लेकिन यहॉ भी यह दर 63 फीसदी है। पढ़ने–लिखने में महिलाऐं ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। महिलाओं की साक्षरता दर 53.67 के मुकाबले 65.46 फीसदी बढ़ी है। यह बढ़ौतरी 11.8 फीसदी है।

निष्कर्ष

नारी का त्याग व बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। समाज में जिस प्रकार पुरूष को महत्वपूर्ण माना जाता है वैसे ही वर्तमान सन्दर्भ में नारी का स्थान भी अद्वितीय है। समाज में महिलाओं को उच्च ओहदा एवं उचित स्थान दिलाने के लिए उन्हें संगठित करना एवं शक्ति रूप में आज प्रस्तुत किया जाना बहुत आवश्यक है। वैसे तो हर क्षेत्र में नारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है जो कि भारत देश के लिए बड़े गौरव की बात है।

संदर्भ ग्रंथ

1. सिंह, जे. डी, कानूनी अधिकारों के प्रति महिला जागरूकता का अध्ययन, संचायिका विषेशांक 2011, जयपुर।
2. दवे, रमेष, षिक्षा और चेतना, महामीडिया जुलाई 2011, भोपाल।
3. कम हो रही बेटियां, महामीडिया जुलाई 2011, भोपाल।